

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in


Email ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक: १५७ / / एम०एस०यू० / 2022-23

दिनांक: 14/07/22

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में मिशन शक्ति, आजादी का अमृत महोत्सव एवं अन्य सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समन्वयक का कार्य डॉ० भूपेन्द्र कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, रा०से०यो०, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर द्वारा सम्पादित किया जायेगा।


(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० भूपेन्द्र कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर
2. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

1
कुलसचिव

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक: 958 / का०कु०स० / एम०एस०यू० / 2022-23

दिनांक: 14/07/22

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,
सहारनपुर।

विषय:- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त, 2022 स्वतंत्रता सप्ताह के मध्य 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ के पत्रांक-1895/सत्तर-3-2022 दिनांक 13 जुलाई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त, 2022 के मध्य "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने के संबंध में बिन्दु निर्धारित करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित हैं कि पत्र में वर्णित निर्देशों का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या डॉ० भूपेन्द्र कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को कार्यालय ईमेल nss@msuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,


(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. डॉ० भूपेन्द्र कुमार, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर
2. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

/
कुलसचिव

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।
4. विशेष कार्याधिकारी तथा राज्य सम्पर्क अधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक
उच्च शिक्षा विभाग।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 08 जून, 2022

विषय:- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति अनुभाग के पत्र सं0-894/चार-2022, दिनांक 01 जून, 2022 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम देश भर में गरिमामय रूप से मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के क्रियान्वयन हेतु गठित राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति (NIC) द्वारा दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 के मध्य "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक भारतीयों को अपने घर एवं प्रतिष्ठानों पर झंडा फहराने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जाग्रत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

2- इस सम्बन्ध में विभाग के समस्त सरकारी कार्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक जनसहभागिता से "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

- (1) "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम प्रत्येक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, शिक्षकगण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न नागरिक संगठनों आदि के सहयोग से क्रियान्वित किया जाये।
- (2) विभाग की वेबसाइट एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर उपलब्ध "हर घर तिरंगा" का लिंक दिया जाये।
- (3) एन0एस0एस0 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता सत्र का आयोजन करते हुए ग्राम प्रधानों को शत-प्रतिशत घरों, दुकानों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा नलकूपों इत्यादि पर झंडा फहराने के लिए प्रेरित किया जाय।
- (4) जनपद के समस्त सरकारी कार्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों को इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से झंडा फहराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

(5) एन0एस0एस0 द्वारा बैनर, पम्पलेट, स्टैण्डी, हॉर्डिंग एवं अन्य उपयुक्त माध्यमों से स्थानीय भाषा एवं बोली में कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

(6) दिनांक 10 जून से 15 जून, 2022 के मध्य समस्त शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया जाय। शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रेरित करते हुए प्रत्येक नागरिक का इस कार्यक्रम से जोड़ने हेतु व्यापक प्रेरक अभियान चलाया जाय।

3- दिनांक 15 जुलाई से 05 अगस्त, 2022 के मध्य कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी परिसरों में झंडों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मोनिका एस0 गर्ग)

अपर मुख्य सचिव।

5

संख्या- 1468(1)/सत्तर-3-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
- 3- प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- कुल सचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 5- संस्कृति अनुभाग।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)

विशेष सचिव।

अपर मुख्य सचिव कार्यालय
पत्र दिनांक 02/6/22

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

02/6/22
(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-894/चार-2022

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ : दिनांक: 1 जून, 2022

विषय:—आजादी अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सम्बन्ध में।
महोदय,

अवगत कराना है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम देश भर में गरिमामय रूप से मनाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 23 मई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि आजादी का अमृत महोत्सव के क्रियान्वयन हेतु गठित राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति (NIC) द्वारा दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 के मध्य 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक भारतीय को अपने घर एवं प्रतिष्ठानों पर झण्डा फहराने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जाग्रत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना है।

(2) प्रदेश में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाये जाने हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जानी है:—

1. "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम प्रत्येक सरकारी अधिकारी/कर्मचारी, शिक्षकगण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न नागरिक संगठनों आदि के सहयोग से क्रियान्वित किया जाये।
2. वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक समूहों एवं संगठनों को उनकी सहभागिता एवं तिरंगा झण्डा बनवाने के लिए सी0एस0आर0 संसाधनों को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेरित किया जाये।
3. समस्त सरकारी/विभागीय वेबसाइट एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अमृत महोत्सव की वेबसाइट पर उपलब्ध 'हर घर तिरंगा' का लिंक दिया जाये।

श्री अरुण
3/6/2022

4. ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित विभाग द्वारा जागरूकता सत्र का आयोजन करते हुए
NSJ ग्राम प्रधानों को शत-प्रतिशत घरों, दुकानों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा नलकूपों
इत्यादि पर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित किया जाये।
5. जनपद के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में झण्डा के वितरण/बिक्री हेतु केन्द्रों को
चिन्हित कर जनपद की समस्त सरकारी राशन की दुकानों को झण्डा वितरण एवं बिक्री
केन्द्र के रूप में प्रयोग किया जाये।
6. झण्डों के निर्माण हेतु स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करते हुए "झण्डा निर्माण
समूहों" का गठन किया जाये।
7. सभी जिलाधिकारियों द्वारा झण्डों के निर्माण हेतु स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय टेलर्स
तथा आई0टी0आई0 व अन्ये वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्रों के दक्षकारों का चयन दिनांक
05 जून, 2022 तक कर लिया जाये।
8. जनपद को दिये गये लक्ष्यों एवं आवश्यकता के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में झण्डों का
निर्माण सुनिश्चित कराया जाये।
9. नगरीय एवं पंचायत स्तर पर लोगों को झण्डा क्रय करने एवं कार्यक्रम में सम्मिलित
होने हेतु प्रेरित किया जाये।
10. जनपद के समस्त सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों,
व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी संगठनों, रेस्टोरेन्ट, शॉपिंग
काम्पलेक्स, टोल प्लाजा, पुलिस चौकी/थाना इत्यादि को इस कार्यक्रम में अनिवार्य
रूप से झण्डा फहराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।
11. बैनर, पम्पलेट, स्टैण्डी, होर्डिंग्स एवं अन्य उपर्युक्त माध्यमों से स्थानीय भाषा एवं बोली
NSJ में कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
12. परिवहन निगम की समस्त बसों, निजी बसों, ट्रकों एवं अन्य सार्वजनिक परिवहन
साधनों तथा सरकारी वाहनों में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का संदेश स्टीकर अथवा
अन्य माध्यम से लगाया जाये।
13. जनपद के समस्त टोल प्लाजा, चेक प्वाइन्ट्स इत्यादि पर बैनर, स्टैण्डी आदि लगाया
जाये।

14. जनपद स्तर से पंचायत स्तर तक विभिन्न स्तरों पर नोडल अधिकारीगण के साथ-साथ पर्यवेक्षकों की भी तैनाती प्रत्येक विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर की जाये तथा विभिन्न स्तरों पर इसकी नियमित समीक्षा की जाये।
15. सभी प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में "पैरेन्ट-टीचर मीटिंग" के माध्यम से कार्यक्रम के सम्बन्ध में भी सभी को जानकारी दी जाये।
16. "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार सूचना विभाग के माध्यम से प्रत्येक जनपद मुख्यालय में L.E.D. VAN के माध्यम से एवं सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, केबिल नेटवर्क, स्थानीय सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से फ्लायर, वीडियो अपील, रेडिया जिंगल आदि के द्वारा किया जाये।

(3) 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम हेतु जनपद के समस्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षामित्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आँगनबाड़ी कर्मियों, आशा बहुओं आदि को पूर्व निर्धारित लक्ष्य दिया जाये तथा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों की जिलाधिकारी स्तर पर नियमित समीक्षा की जाये :-

1. कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
पुलिस आयुक्त द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद	सदस्य
मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
जिला विकास अधिकारी	सदस्य
जिला प्रोवेशन अधिकारी	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य

उपनिदेशक/जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
उपनिदेशक/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/पर्यटन अधिकारी	सदस्य
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
कार्यक्रम अधिकारी(एकीकृत बाल विकास योजना)	सदस्य
जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
प्राचार्य, आई0टी0आई0	सदस्य
जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र	सदस्य
समन्वयक- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन	सदस्य
एन0सी0सी0 के अधिकारी/एन0एस0एस0 के समन्वयक	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित उद्योग मण्डलो/व्यापार मण्डलो के प्रतिनिधिगण	सदस्य
जिला पंचायतीराज अधिकारी	सदस्य-सचिव

नोट:(1) उपरोक्तानुसार गठित समिति के सदस्यों की सूची दृष्टान्त के रूप में है। जिलाधिकारी अपनी सुविधानुसार इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इसी प्रकार से समितियों का गठन करा लिया जाए जिसमें एक जिला स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाये।

(2)मा0 जनप्रतिनिधिगण के साथ भी पृथक से बैठक कर उन्हें कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी जाये।

(3)समय-समय पर प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार, जन-जन जागरूकता एवं तैयारियों के संबंध में जानकारी भी दी जाये।

- उपरोक्तानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक 05 जून, 2022 तक कराते हुए समस्त जिलों की कार्ययोजना व रूपरेखा शासन को ई-मेल harghartirangaup@gmail.com पर प्रेषित करा दी जाये।

3. दिनांक 05 से 10 जून, 2022 के मध्य जनपद में विभिन्न स्तरों पर 'हर घर तिरंगा' हेतु झण्डा की सिलाई आदि का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया जाये। इसी मध्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार झण्डा निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध भी करा लिया जाये। जनपदों में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय हेतु स्थानीय स्तर पर लक्ष्य का निर्धारण कर लिया जाये।

4. दिनांक 10 जून से 15 जून, 2022 के मध्य समस्त प्रेरकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाये, जो समस्त शिक्षा संस्थानों, राशन दुकानों, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रत्येक नागरिक को इस कार्यक्रम से जोड़ने हेतु व्यापक प्रेरक अभियान चलायेंगे।

5. 15 जून से 15 जुलाई, 2022 के मध्य जनपद को दिये गये लक्ष्य के अनुरूप सभी झण्डों का निर्माण करा लिया जाये।

6. दिनांक 15 जुलाई से 05 अगस्त, 2022 के मध्य जनपद के समस्त घरों, दुकानों, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी परिसरों में झण्डों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाये।

(4) योजना का कार्यान्वयन:

1. कार्यक्रम में "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा झण्डा संहिता में संशोधन किया गया है (संलग्नक-1)।

2. प्रत्येक झण्डा बनाने वाले स्वयं सहायता समूह एवं अन्य संस्थानों को झण्डे के आकार के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किये जाये (संलग्नक-2)।

3. प्रत्येक नोडल का यह दायित्व होगा कि हर घर झण्डा फहराने हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाये (संलग्नक-3)।

4. प्रत्येक जनपद को हाउस होल्ड के अनुसार झण्डा फहराने का लक्ष्य संलग्न है (संलग्नक-4)।

अतएव उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या- /चार-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 23 मई, 2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

File No. 02/01/2020-Public (Part-III)
 Government of India
 Ministry of Home Affairs
 (Public Section)

North Block, New Delhi
 Dated 30th December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002- Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting".


 (Vijay Kumar)

Deputy Secretary to the Government of India
 Tele No. 2309 3101

To:

The Chief Secretaries/Administrators of
 All State Governments/UT Administrations,
 Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice-President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.


 (Vijay Kumar)

Deputy Secretary to the Government of India
 Tele No. 2309 3101

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

झण्डा फहराने के नियम

- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
- दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश के गांवों, नगर, घर एवं जनसंख्या का विवरण एवं झण्डों के निर्माण एवं फहराने का लक्ष्य

क्र०सं०	जिले का नाम	गांवों की संख्या		नगरों की संख्या	कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार (लाख में)	घरों की संख्या (लाख में)	झण्डा फहराने का लक्ष्य (लाख में)	झण्डों के निर्माण का लक्ष्य (लाख में)
		आबाद गाँव	गैर आबाद गाँव					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	सहारनपुर	1243	329	16	34.7	6.0	4.6	5.5
02	मुजफ्फरनगर	880	139	27	41.4	6.8	5.2	6.2
03	बिजनौर	2186	798	26	36.8	6.3	4.9	5.8
04	मुरादाबाद	1550	243	17	47.7	8.0	6.1	7.4
05	रामपुर	1108	55	10	23.4	3.9	3.0	3.6
06	ज्योतिबा फूले नगर	959	164	9	18.4	3.1	2.4	2.9
07	मेरठ	604	59	18	34.4	5.8	4.5	5.3
08	बागपत	290	25	8	13.0	2.1	1.6	1.9
09	गाजियाबाद	511	36	26	46.8	8.5	6.5	7.9
10	गौतम बुद्ध नगर	304	16	13	16.5	3.3	2.5	3.0
11	बुलन्द शहर	1174	68	21	35.0	5.9	4.5	5.4
12	अलीगढ़	1170	29	24	36.7	6.1	4.7	5.6
13	हाथरस	655	14	12	15.6	2.6	2.0	2.4
14	मथुरा	730	144	25	25.5	4.2	3.3	3.9
15	आगरा	893	36	27	44.2	7.1	5.5	6.6
16	फिरोजाबाद	790	17	9	25.0	4.1	3.2	3.8
17	मैनपुरी	820	31	9	18.7	3.1	2.4	2.9
18	बदायूँ	1785	276	23	36.8	6.2	4.7	5.7
19	बरेली	1855	196	31	44.5	7.6	5.8	7.0
20	पीलीभीत	1295	140	11	20.3	3.6	2.8	3.3
21	शाहजहांपुर	2088	240	11	30.1	5.3	4.1	4.9
22	खेरी	1706	88	14	40.2	7.5	5.7	6.9
23	सीतापुर	2317	31	12	44.8	8.0	6.2	7.4
24	हरदोई	1907	163	13	40.9	7.3	5.6	6.7
25	उन्नाव	1693	102	21	31.1	5.9	4.5	5.4
26	लखनऊ	803	4	12	45.9	8.6	6.6	7.9
27	राय बरेली	1733	40	9	34.1	6.2	4.8	5.7
28	फर्रुखाबाद	872	133	9	18.9	3.1	2.4	2.9
29	कन्नौज	688	64	8	16.6	2.8	2.2	2.6
30	इटवा	686	6	6	15.8	2.8	2.1	2.6
31	औरैया	769	70	9	13.8	2.5	1.9	2.3
32	कानपुर देहात	966	63	12	18.0	3.3	2.5	3.0
33	कानपुर नगर	902	101	10	45.8	8.6	6.6	8.0
34	जालौन	942	209	10	17	2.8	2.2	2.6

क्र०सं०	जिले का नाम	गाँवों की संख्या		नगरों की संख्या	कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार (लाख में)	घरों की संख्या (लाख में)	झण्डा फहराने का लक्ष्य (लाख में)	झण्डों के निर्माण का लक्ष्य (लाख में)
		आबाद गाँव	गैर आबाद गाँव					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	सम्भल						2.7	3.2
75	शामली						2.7	3.2
2011 के अनुसार कुल जनसंख्या एवं घरों की संख्या (लाख में)					1998.12	334.48		
सरकारी एवं गैरसरकारी प्रतिष्ठानों की संख्या (अनुमानित, लाख में)						50.00	50.00	60.00
2021 के अनुसार उ०प्र० में अनुमानित बढ़ी हुई जनसंख्या					502.00	84		
कुल घरों एवं सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिष्ठानों की संख्या (लाख में)					2500.00	468.13	318.01	381.61

नोट— झण्डों के फहराने एवं निर्माण करने का लक्ष्य २०२१ की अनुमानित जनगणना के अनुसार निर्धारित किया गया है

समयबद्ध

रोविंद मोहन
सचिव
Govind Mohan
Secretary



75
आजादी का
अमृत महोत्सव

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NEW DELHI-110 001

D.O. No. - 42-22/119/2022-AKAM

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

May 23, 2022

No. 483 /MS/SECY/GI/2022

Dear Sir:

The Indian National Flag is a symbol of national pride for the entire nation. To further honor our flag, National Implementation Committee headed by the Hon'ble Home Minister which oversees all efforts under Azadi Ka Amrit Mahotsav has approved the programme of 'Har Ghar Tiranga'. It envisages inviting Indians everywhere to hoist the national flag at their home. The idea behind the initiative is to invoke the feeling of patriotism in the hearts of the people and promote awareness about our national flag.

2. On 20th May 2022, Cabinet Secretary chaired a meeting of 'Committee of Secretaries'(COS) with all Chief Secretaries on "Har Ghar Tiranga" and outlined following tasks to be undertaken to ensure successful implementation of the program:-

- i. Active participation of all employees of State government, State PSUs, self-help groups, civil society organizations etc. and their families under your administrative jurisdiction.
- ii. Corporate and private organizations may also be encouraged to participate and contribute including CSR resources.
- iii. Creating buzz/awareness building by utilizing websites & social media handles of State government. All State government websites to carry banners linking to Amrit Mahotsav Website - Har Ghar Tiranga-corner (amritmahotsav.nic.in).
- iv. Outreach sessions with heads of panchayats at the level of concerned departments.
- v. Identification of flag distribution and sales point in each village.
- vi. Self-help groups to be leveraged for stitching of flags, supported by local tailoring groups.
- vii. Enmass purchase of flags to be encouraged by panchayats.
- viii. All government buildings and institutions to hoist the flag.
- ix. Communication material via pamphlets, standees, banners etc to be displayed prominently in local language(s).
- x. Vast network of fair price shops to be leveraged as distribution/ sales point for the flags.
- xi. State transport buses to be painted with messages about Har Ghar Tiranga.
- xii. Toll and check points to be branded, utilized for pamphlets & leaflets.

3. In this regard all information on the "Har Ghar Tiranga" program is available at <https://amritmahotsav.nic.in/> and designs/creatives to be used will be uploaded on the same.

4. It is requested to kindly share detailed plan of action of your State on achieving objectives of Har Ghar Jhanda by 31st May 2022 on secy-culture@nic.in.

With kind regards

Yours sincerely,

(Govind Mohan)

Durga Shanker Mishra
Chief Secretary
Government of Uttar Pradesh
Lucknow

Email

CHIEF SECRETARY OFFICE GOVT OF U

D.O. letter regarding "Har Ghar Tirangā"

From : azadiamrit@gmail.com

Tue, May 24, 2022 04:01 PM

Subject : D.O. letter regarding "Har Ghar Tiranga"

1 attachment

To : CHIEF SECRETARY OFFICE GOVT OF UP <csup@nic.in>

Cc : PRIYANKA CHANDRA <priyankachandra.dad@hub.nic.in>

Respected Sir/Madam,

Kindly find the attachment on the subject mentioned above.

Regards,
AKAM DIVISION,
IGNCA, JANPATH
Ministry of Culture.

Shri Durga Shanker Mishra.pdf
485 KB

48 - 10/11/22
10/11/22
10/11/22
10/11/22
10/11/22